1. शोध विषय :

छत्तीसगढ़ की भुंजिया जनजाति में महिला सशक्तिकरण का मानवशास्त्रीय अध्ययन

2. परिचय :

भारतीय समाज में पुरुषों का स्थान सदैव ही परंपरागत रूप से महिलाओं की तुलना उच्च रहा है इसी कारण भारतीय परंपरागत समाजों में भेदभाव भी होते रहा है । लड़की के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त उनकी स्थिति दूसरे दर्जे की रहीं है । परिवार में पुत्र एवं पुत्री के बीच का विभेद स्पष्टतः देखा जा सकता है । दहेज प्रथा का प्रचलन भी स्त्री उत्पीड़न का एक प्रमुख कारण है । हिन्दू उत्तराधिकार कानून में महिलाओं को पिता के संपत्ति में समान अधिकार होते हुए भी उनका हिस्सा उन्हें प्राप्त नहीं होता । इसी तरह पुरुषों की तुलना समान काम के बावजूद कम मजदूरी देना, पुत्र की अपेक्षा पुत्री को शिक्षा के मामले में कम महत्व मिलना, कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ आदि अनेक उदाहरण जिनसें हम अवगत है । यह सब महिलाओं के न केवल उत्थान के लिए बाधक है अपितु उन्हें पुरुषों के समतुल्य सशक्त होनें से भी रोकते है । जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति किस रूप में है एवं परिवार में उनकी क्या स्थिति है । इसका अध्ययन प्रस्तुत शोध में किया जाना है । इस हेतु छत्तीसगढ़ में निवासरत भुंजिया जनजाति को अध्ययन विषय के रूप में चुना गया है ।

भारत की जनसंख्या विविध धर्म, जाति, वर्ग के आधार पर सदियों से बंटी हुई है, तथापि भारत की एकता एवं अखंडता इस वर्गीकृत संख्या में एकीकृत रूप से समाहित है । देश की आबादी सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक रूप से ग्रामीण, नगरीय तथा औद्योगिक समाजों के साथ वर्गीकृत देखी जा सकती है । ग्रामीण समाज का एक भाग घने जंगलों, पहाड़ियों, घाटियों, तराईयों में निवास करता है । जिन्हें उनकी भाषा, राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन एवं धार्मिक पहचान के कारण आदिम जाति, आदिवासी, वन्यजाति, जनजाति आदि नामों से जाना जाता है । सुदूर अंचलों में निवास करने के कारण विकास की लहर इन तक पहुंच नहीं पाई और ये अन्य समाजों की तुलना में पिछड़ते गये । इन जातियों को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 342 के अंतर्गत सूचीबद्ध कर अनुसूचित जनजाति कहा गया है । अनुसूचित जनजाति वर्ग के उत्थान हेतु हमारे संविधान मे अनेक संवैधानिक एवं सुरक्षात्मक प्रावधान बनाए गए है । उनके सामाजिक शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास हेतु विशेष नियम बनाने के लिए विशेष आयोजनों को प्रावधान किया गया है । अनुच्छेद 15(3) के अतंर्गत केन्द्र सरकार राज्य सरकार को विशेष अधिकार प्रदान करती है जिससे

राज्य प्रदेश की महिलाओं के विकास के लिए विशेष प्रावधान या कानून बना सकें । स्वतंत्रता के पांच दशक में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो के विकास के लिए केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा अनेक प्रयास किए गए किंतु अधिकांश भारतीय समाज पितृसत्तात्मक होने के कारण इन संवर्ग के पुरुष तथा बालक विकास की ओर अग्रसर हुए है किंतु महिलाओं तथा बलिकाओं की स्थिति आज भी तुलनात्मक दृष्टि से पिछड़ी हुई है । अतः अविकसित समाज में भी विशेषकर पिछड़ों में भी सर्वाधिक पिछड़े आदिवासी स्त्रियों की स्थिति इनकी समस्याओं का अध्ययन किया जाना इनके विकास के लिए अति आवश्यक है ।

महिलाओं की स्थिति को देखने से स्पष्टतः प्रमाणित होता है कि यद्यपि कानूनी व सैध्दांतिक संदर्भो में उनके अधिकारो व अवसरों में कोई कमी नही है परंतु व्यवहारिक स्वीकार्यता के संदर्भ में अभी अभीष्ट लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके है । इसी संदर्भ को ध्यान में रखकर प्रस्तावित विषय का चयन किया गया है जिससे भुंजिया जनजाति की स्त्रियों में सशक्तिकरण के स्तर को जाना जा सके ।

2.1 महिला सशक्तिकरण का अर्थ

"लैंगिक विषमताओं को प्रोत्साहित करने वाली परंपरागत संस्थाओं व संरचनाओं में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिससे कि महिलाओं की समानता सुनिश्चित हो सके" । महिला सशक्तिकरण के कुछ परिभाषित मानक इस प्रकार है ।

- महिलाओं में आत्मसम्मान व आत्मविश्वास की भावना विकसित करना ।
- महिलाओं की सकारात्मक छवि का निर्माण यह कार्य सामाजिक आर्थिक जीवन में उनके योगदान को मान्यता देकर किया जा सकता है ।
- निर्णय लेने की क्षमता का पोषण व उसे उन्नत करना ।
- विकास प्रकिया में समान भागेदारी सुनिश्चित करना ।
- आर्थिक स्वतंत्रता हेतु सूचना, ज्ञान व कुशलता उपलब्ध कराना ।
- सामाजिक–आर्थिक जीवन के सभी क्षेत्रों में समान रूप से उनकी सहभागिता में वृद्धि हेतु प्रयास करना ।

सशक्तिरण को नैतिक, धार्मिक, सामाजिक, पारंपरिक, आर्थिक, राजनैतिक, प्रशासनिक, संवैधानिक दृष्टि से देखा जाने के साथ–साथ महिलाओं की शारीरिक क्षमता, बौद्धक विकास एवं मनोवैज्ञनिक दृष्टि से देखा जाना भी आवश्यक है । सशक्तिकरण को किसी व्यक्ति विशेष की दृष्टि से नहीं अपितु उसकी विभिन्न भूमिकाओं के रूप में देखने की आवश्यकता है ।

2.2 जनजाति–परिचय

भुंजिया जनजाति एक अल्पसंख्यक जनजाति है जो हमारे देश में उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ में निवास करती है । छत्तीसगढ़ प्रदेश में इनकी आबादी वर्ष 1981 के अनुसार 7524 आंकी गई थी, जो प्रदेश की जनजाति जनसंख्या का 0.8 प्रतिशत थी । यह छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के तहसील बिन्दानवागढ़ विकासखण्ड गरियाबंद में पाई जाने वाली जनजाति है तथा उड़ीसा राज्य के कालाहाण्डी जिले में भी यह जनजाति निवास करती है । रायपुर जिले के दक्षिणपूर्वी भाग में वनाच्छदित क्षेत्र के बिन्द्रानवागढ़ तहसील के विकासखण्ड गरियाबंद, मैनपुर, छुरा, नवा धमतरी, जिला के नगरी एवं राजिम तहसील के विकासखण्ड फिंगेश्वर तथा महासमुन्द जिला के विकासखण्ड बागबाहरा, खल्लारी तथा उड़ीसा प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र सोना बेड़ा में भुंजिया जनजाति निवास करती है ।

भुंजिया जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में कोई भी लिखित व प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है । एकमात्र प्रमाणित दस्तावेज रसेल व हीरालाल द्वारा लिखित "The Tribe & Casts of central provicos of India" में इनका अभिमत है कि भुंजिया जनजाति का एक वर्ग जिसे चौखुटिया कहा जाता है, का उदय गोड़ एवं हल्वा जनजाति के वैवाहिक संबंध से हुआ था । भुंजिया जनजाति दो प्रजाति में विभक्त है मैदान पर जीवनयापन करने वाली प्रजाति को चिंडा तथा पहाड़ पर जीवन यापन करने वाली प्रजाति को चौखुटिया कहते है । संपूर्ण भारत में भुंजिया जनजाति की कुल जनसंख्या 17,601 है । सन् 1991 के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश में इनकी जनसंख्या 7901 थी ।

भुंजिया जनजाति की अपनी अलग बोली है जिसे भुंजिया बोली कहते है । यह बोली हल्बी एवं उड़िया भाषा का मिला जुला रूप है । भुंजिया पुरुष धोती, कुर्ता, बनियान और गमछा पहनते है जबकि भुंजिया महिलाएँ केवल साड़ी पहनती हे । विवाह के पश्चात् महिलाएँ केवल सफेद साड़ी पहनती है । घर सामान्यतः मिट्टी के बने होते है जिस पर घास फूस या देशी खपरैल का छप्पर होता है । भुंजिया जनजाति के प्रत्येक घर में लाल बंगला पाया जाता है । यह उनका रसोई घर होता है । यह बाहर से लाल रंग मे पोता हुआ होता है । भुंजिया जनजाति के लोग लाल बंगला को बहुत पवित्र मानते है तथा किसी बाहरी व्यक्ति को छूने नहीं देते अगर भूल से छू लिए तो उनके ऊपर नाराज हो जाते है तथा लाल बंगला को तोड़कर नए सिरे से पुनः उनका निर्माण करते है । भुंजिया जनजाति में केवल महिलाएँ गोदना गोदवाती है । शरीर के विभिन्न अंगों के आधार पर गोदने को भिन्न–भिन्न संज्ञाओं से संबोधित किया जाता है । भुंजिया जनजाति के जीविका का मुख्य साधन कृषि, मजदूरी पशुपालन एवं वनोपज संग्रहण है । यह पितृसतात्मक समाज है । भुंजिया जनजाति में विवाह के पूर्व बालिकाओं का सांस्कारिक विवाह काड़ विवाह होता है । यह

भुंजिया जनजाति में अनिवार्य रूप से किया जाने वाला संस्कार है । इनमें ममेरे फुफेरे विवाह, देवर विवाह एवं साली विवाह प्रचलित है । भुंजिया जनजाति के मुख्य देवी देवता है, बूढ़ादेव, ठाकुरदेव, शीतलामाता (बुढ़ीमाई), भैंसासुर, काना भैंस, काला कुंवर, डुमादेव (पूर्वज) आदि भुंजिया समाज कछुए को बहुत महत्व एवं सम्मान देते है । इनका विश्वास है कि कछुए की पीठ पर पृथ्वी टीकी है । भुंजिया जनजाति जादू–टोना, मंत्र–तंत्र में काफी विश्वास करते है । जादू मुख्य रूप से दो प्रकार के होते है, काला जादू जिसका प्रयोग दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है । एवं सफेद जादू जिसका प्रयोग दूसरो की भलाई के लिए किया जाता है ।

भूंजिया जनजाति में परंपरागत जाति संगठन पाया जाता है । सात परिवार पाया जाता है, इस सात परिवार के सदस्य ही वंशानुगत जाति संगठन के सदस्य होते है ये लोग विवाह में बिहाव गीत, नाच, दीपावली में महिलाएँ सुवा नृत्य, पुरुष राम सप्ताह, होली में रहस नाचते है । इनके प्रमुख त्यौहार नवाखाई, चाउरधोनी या रोटी खानी है । इसके अलावा ये हरेली, राखी, तीजा–पोला, पितर, दशहरा, दीपावली, होली आदि को मानते है ।

3. पूर्व शोध विवरण :–

महिलाओं के विकास और उत्थान के लिए कई अध्ययन किए गए है । सरकार ने भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकारते हुए उनकी भागीदारी को कानूनी आधार प्रदान करने के लिए विशेष व्यवस्था की है । इसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष महिलाओं का जीवन व उनका समाज में स्तर हमेशा अस्पष्ट रहा है । यही कारण है कि इस विषय पर अनेक शोध व अध्ययन हुए जिससे समाज व सरकार दोनो का ध्यान इनकी ओर आकृष्ट हुआ और कुछ हद तक इसके फलस्वरूप महिलाओं के स्तर को ऊंचा उठाने में मदद मिली । महिलाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन व उनके निष्कर्ष निम्नानुसार है

रानाडें (1975) और जोशी (1977) ने बस्तर जिला के दंतेवाड़ा के समीप महिलाओं के दैनिक मजदूरी संबंधी अध्ययन में पाया कि काफी अधिक संख्या में महिलायें खनिक कार्यो, फैक्टरी, भवन निर्माण और कई घरेलू सेवाओं में लगी हुई है । ठेकेदार इन्हें सुबह से ट्रको में भरकर कार्य स्थल में ले जाते है । जहाँ पर एक तरह के कार्यो के लिए भी इन्हें पुरुषों से कम मजदूरी मिलती है । निर्माण कार्यो के लिए ये ठेकेदार 13–35 आयु समूह की व्यस्क और स्वस्थ महिलाओ को प्राथमिकता देते है । इनमें से बहुत सी महिलाएँ प्रवासीय, अशिक्षित व निम्न जाति समुदायों सेसंबद्ध होती है ।

इन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं, मातृत्व अवकाश, आकस्मिक अवकाश, पेंशन इत्यादि सुविधाओं से

वंचित रखा जाता है । काम करने के समय और मजदूरी के मामले में सरकारी नियमों की पूर्णतः अवहेलना की जाती है । दोपहर के खाने के समय को निकालकर 8 घण्टे से अधिक का श्रम इनसे करवाया जाता है । अतिरिक्त मजदूरी नही दी जाती और न ही नियत न्युनतम मजदूरी दर पर इनसे काम करवाया जाता है । इन सबके बावजूद इनका न कोई यूनियन है और न ही कोई विरोध में कुछ कहता है । ये सब सिर्फ इसलिये ताकि जो थोड़ी बहुत आय इन मजदूरों के माध्यम से इन्हें हो रही है, वो भी कहीं खो न जाये ।

दत्ता (1976) ने अरुणाचल प्रदेश के मातृसत्तात्मक जनजाति समुदायों पर अपने अध्ययन में बताया कि इन समुदायो में कार्यो का विभाजन लिंग के आधार पर किया गया है घर के बाहरी कार्यो की जिम्मेदारी जहाँ पुरुषों की है, वही घरेलु गृहस्थी के कार्य जैसे जलाऊ लकड़ियों का संग्रहण, पीने का पानी, घर की देखभाल, बच्चों का ध्यान, ये सब कार्य महिलाये ही करती है । डंडा (1978) ने मध्यप्रदेश के छत्तीसढ़ क्षेत्र की आदिवासी समुदाय की महिलाओं पर किये अपने आनुभाविक अध्ययन में बताया कि यूं तो कडोका, कोरवा और पंडो महिलाओं की उत्पादन क्रियाए काफी सीमित है । पर बड़े पैमाने पर वे जड़ी–बूटियों, कंदमूल, फल–फूल और कई जंगली वनोपज का संग्रहण करती है । किसी भी तरह इन जंगली उत्पादों का यदि व्यावसायीकरण कर दें, तो इन आदिवासी महिलाओं की भूमिका पारिवारिक अर्थतंत्र में सुदृढ़ हो सकती है ।

डॉ. ज्योत्सना वॉमट और डॉ. के.एल. कॉमट (1980) ने अपना अध्ययन बस्तर के निषेधित क्षेत्र अबूझमाड़ की अबूझमारिया जनजाति पर किया हैं, इन्होंने अपने अध्ययन आदिवासी समुदाय में महिलाओं में बताया हैं कि आदिवासी स्त्रियॉ घरेलू कियाकलापों की केन्द्र हैं, घर के सभी कार्यो के संपादित करने के साथ ही पति के साथ जंगल जाना, वहाँ फल, पत्तियाँ, पुशुओं का चारा, जलाऊ लकड़िया इकठ्ठा करके लाने के साथ–साथ कृषि कार्यो में इनकी संलग्नता देखते बनती हैं । ये अपना जीवन कठिन परिस्थिति में भी हसते हुये गुजारती हैं, इनकी समाज में लिंग–भेद को मान्यता नहीं हैं , वधूमूल्य प्रथा का चलन हैं – जो कि नगद रुपये न होकर अनाज, पालतु पशु या मादक पेय पदार्थ हो सकते हैं । लकड़ी को अपना जीवन साथी चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता हैं, विधवा व तलाकशुदा स्त्री को भी पुर्नविवाह की पूरी स्वतंत्रता दी गई हैं ।

इसी तरह का अध्ययन किश्वर (1985) ने हो जनजाति पर करके यह बताया है कि इस समुदाय की स्त्रियों की स्थिति काफी निम्न है किसी भी तरह के निर्णय लेने में इनकी भागीदारी नही है वे शक्तिहीन होती है और अपने विरुद्ध आर्थिक–सामाजिक और राजनैतिक शोषण का विरोध नहीं कर पाती है ।

केरल की इरूला जनजाति पर प्रथासार्थी ने (1988) में अध्ययन किया और बताया कि इन स्त्रियों को संपत्ति के अधिकारो से पूर्णतः वंचित रखा जाता है । वे हर तरह के जीवन संबंधी निर्णयों के लिये पुरुष सदस्यों पर निर्भर रहती हैं । इसी तरह का अधिकरों संबंधी एक और अध्ययन सच्चिदानंद (1988) ने देहरादून, (उत्तर प्रदेश) के खासा जनजाति समुदाय पर किया और बताया कि संपत्ति संबंधी समस्त अधिकारों से खासा स्त्रियों को न सिर्फ वंचित रखा जाता हैं वरन् तलाक होने की स्थिति में उन्हें अपने गहनों पर भी स्वामित्व नहीं मिलता ।

एस.के. बासु (1993) ने अपने अध्ययन में आदिवासी स्त्रियों के स्वास्थ्य स्तर को समझाया है इन्होने इसे निम्न संदर्भो में लिया है – लिंगानुपात, विवाह की उम्र, जन्म, व मृत्युदर, जीवन की औसत आयु, पोषण स्तर, माँ व बच्चें की स्वास्थ्य देखभाल व परिवार कल्याण कार्यकम । अपने अध्ययन के निष्कर्ष के रूप में इन्होंने पाया कि आदिवासियों में शिशु मृत्यु दर अधिक हैं व उनका पोषण स्तर निम्न है ।

Seetha Kakkoth (1995) ने अपने अध्ययन Health Status of Women in a Marginalised Tribal Community : A study of Aranadan of Kerala में बताया कि यह सर्वविदित है कि किसी भी समूह का स्वास्थ्य उस समूह की महिलाओं के स्वास्थ्य से प्रभावित होता है । परंतु यहा यह विरोधाभास है कि महिलाओं के स्वास्थ्य को बहुत कम महत्व दिया जाता है । जबकि वह सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में मुख्य भूमिका निभाती है । अरंदन समाज भी अपवाद नहीं है । उनमें भी यही सोच प्रचलित है । वातावरण में तीव्रता से हो रहे परिवर्तन के फलस्वरूप अरंदन समाज के महिलाओं की जीवन शैली भी परिवर्तित हो रही है । पहले वनों की अधिकता थी जिससे इन्हे आसानी से दैनिक आवश्यकता की वस्तुएँ मिल जाती थी । परंतु वनों की कटाई के कारण अब इन्हें अधिक मेहनत करना पड़ता है । महिलाओं को कामकाज में पुरुषों की अपेक्षा अधिक समय देना पड़ता है । ये भूखे पेट वनोत्पादों के संग्रहण हेतु जाती है जिससे इनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है ।

नीता लोधा (2003) ने अपना अध्ययन राजस्थान के आदिवासी स्त्रियों की स्थिति पर कार्य सहभागिता और निर्णय लेने संबंधी भूमिकाओं के विशेष संदर्भो में किया है । इन्होनें अपने अध्ययन के लिये एक पिछड़े और एक उन्नत गॉव को चुना है ।

आगे अपने अध्ययन में इन्होंने बताया है कि स्त्रियों की स्थिति एवं भूमिका अनेक संदर्भो के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं जिसमें सामाजिक–सांस्कृतिक कारक, आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रगति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आधुनिकता इन सबका प्रभाव पड़ता है । इन्होंने अपने अध्ययन में अनेक माध्यमिक प्रश्नों को उठाया है, कि कैसे ये सभी कारक, राजस्थान की स्त्रियों के विविध कार्य संपन्नता और उनमें उनकी सहभागिता, और उनके निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव

डालते हैं । इनका यह अध्ययन आदिवासी स्त्रियों और वर्तमान में उनकी स्थिति एवं भूमिका विषयक चिंतन संबंधी बहुत से आधारभूत बिन्दुओं के स्पष्टीकरण में सहायक हैं ।

भारती पंडा एवं सागरिका मोंहती (2003) ने अपने अध्ययन Status and Empowerment of Women in India : A Rural Scenario में बताया कि एक दशक से अधिक समय से सशक्तिकरण शब्द महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ है । सशक्तिकरण शब्द में ही विश्वशक्ति निहित है । प्रत्येक समाज में शक्तिशाली व शक्तिहीन समूह होते है । इसलिए भारतीय समाज में भी भिन्न–भिन्न प्रकार की महिलाएँ है । अधिकांश महिलाएँ शिक्षा, रोजगार एवं अपने अधिकारों की जानकारी से वंचित है । जो महिलाओं की दुर्दशा को दर्शाता है । सशक्तिकरण के क्षेत्र में स्वसहायता समूह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । इसके कारण महिलाएँ जागरूक हो रही है ।

अग्रहर, मुरूग्कर, डी., और वी.पी. पाल (2004) ने मेघालय की खासी जनजाति की महिलाओं पर "Intake of Nutrients and Food, and Sources of Nutrients" विषय पर अपना अध्ययन किया हैं । इस अध्ययन में इन्होंने बताया हैं कि किसी समाज की पोषणात्मक स्थिति, उस समाज की सामाजिक–आर्थिक स्थिति और उनके द्वारा लिये जाने वाले भोज्य पदार्थों पर पूरी तरह निर्भर करती हैं । खासी मातृ सत्तात्मक समुदाय हैं, और इस समुदाय में महिलायें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं । परिवार में पोषण के संदर्भ में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं । इनके खान–पान, व्यवहार, भोजन संबंधी विश्वास और मान्यतायें और महिलाओं का स्वास्थ्य को इन्होंने अपने अध्ययन में शामिल किया हैं । इस अध्ययन के लिए 18 साल से बड़ी उम्र की 650 खासी स्त्रियों को इन्होंने निदर्शित किया हैं । तथ्यों का संकलन व्यक्तिगत साक्षात्कार, 24 Hurs Deitary Recal Method के माध्यम से किया गया ।

अध्ययन हेतु लिये गये पैरामीटर्स को प्रत्यक्षतः घर की आय से प्रभावित बताते हुए इन्होंने अपने सेंम्पल को LIG (Lower Income Group) और HIG (Higehr Income Group) में बांट दिया हैं, और इन विभाजनों के अंतर्गत Pregenent, Lactactiong Mother & Nonpregenent और Nonlactating Mother के पैरामीटर्स भी अलग से लिये गये हैं ।

इनका Food Pettern चावल, दाल, मांस और हरी सब्जियों पर आधारित हैं । अपने निष्कर्ष में इन्होंने बताया कि इन परिवारों में एनर्जी, प्रोटीन, आयरन और विटामिन का उपयोग पर्याप्त मात्रा में मिला बावजूद इसके इन महिलाओं में इन सबका स्तर RDA value से Significantly कम मिला । दोनों आय समूहों में वसा, कैल्शिम और केरोटिन का उपयोग कम मिला ।

निष्कर्षतः इन्होंने कहा हैं कि कैल्शिम, वसा और केरोटिन की कमी को विशेष रूप से गर्भावस्था और लैक्टेशन पीरियेड पूरा करने हेतु भोज्य पदार्थों के उपयोग के तरीकों में परिवर्तन की

आवश्यकता हैं । इसके साथ ही सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में पोषणात्मक शिक्षा को शामिल किये जाने की आवश्यकता हैं ।

डॉ. उमेश चं. साहू (2004) ने अपने अध्ययन Literacy Programme and Tribal Women Empowerment in Maharashtra State में औरंगाबाद जिले में जिला साक्षरता अभियान समिति की PLP जॉच के संबंध में बताया है कि इस अभियान के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है । 15–45 आयु समूह की 1347 जनजाति महिलाएँ जो भील, धनवार, गोड़, कोला, काली, नैदका, पारधी जनजाति से संबंधित थी, उन्हें अध्ययन में शामिल किया है । इन्होंने अपने निष्कर्ष में बताया कि साक्षरता अभियान महिलाओं में सशक्तिकरण के चरम बिंदु में पहुंचने की शुरूवात थी । परंतु सिर्फ साक्षरता जैसी नीति को ही इसमें शामिल किया गया जो सशक्तिकरण जैसी ऊँची आशा को पूरा करने में असफल रहा । फिर भी इस कमजोर शिक्षा निति का जनजातीय महिलाओं के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में भविष्य में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है

डॉ. आई. सत्यसुन्दरम (2004) ने अपने अध्ययन Tribal Women : Their Plight and Empowerment में बताया कि रोजाना की जरूतमंद वस्तुओं जैसे ईंधन, चारा, फल, बीज इत्यादि के संग्रह हेतु जनजातीय महिलाओं को वन गार्ड को रिश्वत देना पड़ता है । कोई भी सरकारी चिकित्सक इन क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते और बीमारियॉ इन लोगो के साथ खेलते रहती है । वन तथा खदान ठेकेदारो द्वारा इन जनजातीय महिलाओं का विभिन्न प्रकार से शोषण किया जाता है । आगे इन्होंने सुझाव दिया कि जनजातीय महिलाओं द्वारा निर्मित सामग्रियों को शहरों में प्रचलित करने की आवश्यकता है तथा उनको इन वस्तुओं को अधिक मात्रा में बनाने हेतु प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है ।

डॉ. सी.आर. दास (2004) ने अपने अध्ययन Tribal Women in Changing Environment में बताया कि वनों का नष्ट हो जाना जनजातीय महिलाओं के ऊपर अत्यधिक आर्थिक दबाव डालता है । इससे एक तरफ जंगल में प्राप्त होने वाली दैनिक उपयोग की वस्तुएँ कम हो गई है, तो दूसरी तरफ उन्हें जीविका निर्वाह हेतु ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है । पहले वन्य क्षेत्र में निवास करने वाले जनजाति समुदायों में लिंगभेद अधिक नहीं पाया जाता था । परंतु इस परिवर्तित परिवेश के कारण जनजातीय महिलाओं को अनेक कठिनाईयों से गुजरना पड़ रहा है । ऋणग्रस्तता के कारण इन महिलाओं को उनके पति द्वारा जबर्दस्ती वेश्यावृत्ति करवाई जाती है । तथा इससे होने वाली आमदनी का उपयोग ऋण चुकाने के लिए किया जाता है ।

श्रीमति ए. सैलजा देवी (2004) ने अपने अध्ययन Socio-Economic Conditions of Tribal Women : A Study in Andhra Pradesh में चार स्तरों जिला, मंडल, गॉव एवं घर को चयन प्रक्रिया में

शामिल किया । गॉवों को जनजातीय जनसंख्या की सघनता के आधार पर शामिल किया गया । कोण्डासँवरा, सँवरा तथा जतापु जनजाति की 60–60 महिलाओं को अध्ययन में शामिल किया है । अपने निष्कर्ष में इन्होंने बताया कि तीनों जनजाति की महिलाएँ कम उम्र में ब्याह दी जाती है । शिक्षा के क्षेत्र में जतापु जनजाति की महिलाएँ आगे रहती है क्यूकि ये समतल भूमि क्षेत्र में निवास करती है । कोण्डासँवरा जनजाति की महिलाएँ पहाड़ी इलाकों में रहने के कारण कम शिक्षित होती है । किसी क्षेत्र के महिलाओं की स्थिति को ऊँचा उठाने में केवल आर्थिक उन्नति को ही सहायक नहीं माना जा सकता बल्कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं का भी इन पर प्रभाव पड़ता है । इन्होंने बताया कि असमानता को हटाने के लिए हमें उन्नति के केन्द्र बिंदु को आर्थिक से हटाकर सामाजिक–सांस्कृतिक बिंदु पर केन्द्रित करना चाहिए । इन्होंने बताया कि कुल बाल श्रमिको में पुरुषों (43.04) की अपेक्षा महिलाओं (56.96 प्रतिशत) की संख्या ज्यादा है । कुल पुरुष जनसंख्या में 68.69 प्रतिशत पुरुष कार्य करते है जबकि कुल स्त्री जनसंख्या में से 71.53 प्रतिशत महिलाएँ कार्य करती है । जो यह दर्शाता है कि जनजातीय अर्थव्यवस्था में महिलाएँ अधिक भागीदार है ।

डॉ. सुरेन्द्रनाथ बेहरा एवं श्रीमति रंजीता कुमारी मोहंती (2004) ने अपने अध्ययन Forest and Livelihood for Tribal Women में बताया कि उड़ीसा की जनजातियों में संथाल, कोन्हा, जुआंग, भुईयां, भूमिज, भथुड़ी, खरिया, मंकड़िया आदि प्रमुख जनजातियॉ जीविका निर्वाह हेतु वनों पर निर्भर है । ये जनजातीय महिलाएँ वन्य पदार्थों जैसे, हर्रा, आँवला, बहेड़ा इत्यादि को बेचने क्षेत्रीय बाजार में जाती है । कभी–कभी ये इन पदार्थों को दलालों को बेच देती है । ये दलाल इन्हें बहुत कम मूल्य में खरीदते है व बाजार में ऊँचे दामों में बेचते है । परंतु आजकल स्वसहायता समूहो के गठन द्वारा महिलाओं में इन वनोत्पादों के क्रय विक्रय के संबंध में थोड़ी जागरूकता आई है ।

डॉ. एस.एन. त्रिपाठी (2004) ने अपने अध्ययन Evaluting Women Self – Help Group in Tribal Orissa में दैव निदर्शन प्रणाली का प्रयोग करते हुए 60 महिला स्वसहायता समूह का चयन अध्ययन हेतु किया है । जिसमें कंधमाल, कालाहाण्डी एवं रायगढ़ा जिले के 20–20 स्वसहायता समूहों को शामिल है । प्रत्येक समूह से ऐसे दो सदस्यों का चयन किया गया जिन्होंने अधिक मात्रा में ऋण लिया था व बचत किया था । 60 स्वसहायता समूह में से 34 (56.66 प्रतिशत) समूह की मासिक कमाई 501 रु. से 1001 रु. तक थी तथा 8 (13.33 प्रतिशत) स्वसहायता समूहों की मासिक आय 501 रु. से कम थी । अधिकतम 28 (46.67 प्रतिशत) स्वसहायता समूह आर्थिक लाभ हेतु बनाए गए थे, जबकि न्यूनतम 6 (10.00 प्रतिशत) स्वसहायता समूह ऋण भार से मुक्ति के कारणं बनाए गए थे 25(41.66 प्रतिशत) महिलाएँ प्रतिमाह 61–91 रु. तक बचत करते थे । 8(13.33 प्रतिशत) महिलाएँ 91 रु. से अधिक मासिक बचत करते थे । इन आंकड़ो से इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि

स्वसहायता समूह कंधमाल, कालाहाण्डी व रायगढ़ा जिले में रहने वाली जनजातीय महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक हुआ है ।

डॉ. पी.के. महापात्रा (2004) ने अपने अध्ययन Development and Family Planning Among Tribal Women में सरकारी विभाग से द्वितीयक आंकड़ो के संकलन के माध्यम से केंऊझर जिला (उड़िसा) के बंसपाल ब्लॉक की जनजातीय महिलाओं का अध्ययन किया है । इन्होंने बताया कि शिशु जन्म नियंत्रण के क्षेत्र में परिवार नियोजन का अनुसरण जनजातियों में एक बड़ा परिवर्तन है। सरकारी व गैरसरकारी संगठनों द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापनों ने जनजातीय महिलाओं में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता लाई है । औद्योगीकरण व शहरीकरण से जनजातियों के रोजगार क्षेत्र विस्तृत हो रहे है । रोजगार बढ़ने के साथ–साथ ये लोग धीरे–धीरे छोटे परिवार का अनुसरण कर रहे है । बंसपाल ब्लॉक में ज्यादातर जुआँग व भुईयाँ जनजाति के लोग है । यहा सालो साल परिवार नियोजन को अपनाने की प्रवृत्ति जनजातीय महिलाओं में बढ़ रही है । इससे स्पष्ट होता है कि जनजातीय महिलाएँ परिवार नियोजन को अपनाने हेतु जागरूक हो रही है जो कि जनजातियों के विकास में रामबाण औषधि की तरह काम कर रहा है ।

डॉ. श्रीकांत महापात्रा (2004) ने अपने अध्ययन Awareness of Tribal Women and their Development : A Case Study में उड़ीसा के बड़ागांव से 40 घरों की 20–55 आयु वर्ग की जनजातीय महिलाओं का साक्षात्कार, वैयक्तिक अध्ययन व अवलोकन प्रणाली से अध्ययन किया है । यहां अधिकांश महिलाएँ स्थानांतरित कृषि में भाग लेती है । महिलाएँ पुरुषों की अपेक्षा अधिक कार्य करती है परंतु फिर भी उनकी आर्थिक स्वतंत्रता सामाजिक–सांस्कृतिक कारको से प्रभावित होती है । यहा की 35 महिलाओं का कहना था कि उनके घर में निर्णय लेने का अधिकार पिता, पति अथवा पुत्र को ही है । केवल 5 महिलाएँ ही निर्णय लेने का अधिकार रखती थी । 40 में से केवल 3 महिलाओं ने परिवार नियोजन का समर्थन किया बाकी 37 महिलाओं का कहना था कि बच्चे भगवान की देन होते है एवं परिवार नियोजन प्रक्रिया से महिलाएँ दुर्बल हो जाती है । जनजातीय महिलाएँ वर्तमान राजनीति व उसके विकास से अनभिज्ञ थी । आरक्षण नीति के कारण उनमें पंचायती राज के प्रति थोड़ी रूचि अवश्य आई है । डॉ. महापात्रा ने सुझाव दिया कि जनजातीय महिलाओं में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता लाने के लिए सरकारी व गैर सरकारी संगठनों को आवश्यक कदम उठाना चाहिए ।

डॉ. आर.पी. मोहंती (2004) ने अपने अध्ययन Social Role and Relevance of Women in Bonda Family – An Enterpretation में बताया कि बोंडा जनजाति उड़ीसा की प्राचीन एवं खतरनाक जनजाति है । इनकी जनसंख्या 5313 (1996 के अनुसार) है । ये लोग पहाड़ो की चोटियों में रहते है ।

इनसे बातचीत करने पर पता चला कि बोडा जनजाति में महिलाएँ प्रतिष्ठित स्थान रखती है । इस समाज में महिलाएँ वास्तव में घरेलु मामलों में निर्णायक भूमिका निभाती है । वे प्रत्येक घरेलु मसले को अपने प्रत्यक्ष भागीदारी से निपटाती है । इसलिए इन्हें सरकारी व गैरसरकारी विकास संस्थानों द्वारा चलाए जाने वाली क्रियात्मक योजनाओं में महत्व दिया जाना चाहिए । जहां तक हो सके इन्हें आवश्यक रूप से शिक्षा प्रदान कर तथा जागरूक करके क्रियात्मक योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए वरना बोंडा जनजाति को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का जो उद्देश्य लेकर क्रियात्मक योजना बनाने वाली ये संस्थाएँ कार्य कर रही है उनकों पूरा करने में बहुत अधिक समय लग जाएगा ।

डॉ. श्रीमति नारायणी श्रीवास्तव (2006) ने अपने अध्ययन Women laborur in Chhattisgarh में छत्तीसगढ़ के महिलाओं की कार्य में भागादारी की दर व उसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में बताया है । तथ्यों का संकलन 1991–2001 के द्वितीयक आकड़ों से किया गया है । 2001 में छत्तीसगढ़ की महिलाओं का कार्य में भागीदारी की दर 40.03 प्रतिशत थी जो कि पूरे भारत में महिलाओं के कार्य में भागीदारी के औसत दर से अधिक है । अध्ययन का निष्कर्ष यह रहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान शहरी अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान से अधिक है । जिससे यह ज्ञात होता है कि ग्रामीण कृषक महिलाएँ आर्थिक दृष्टि से अधिक जागरूक है ।

डॉ. मनोरमा सैनी एवं डॉ. अल्पना सैनी (2006) ने अपने अध्ययन Women's Empowerment : Miles to go में सशक्तिरण के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास किया है । महिलाएँ विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । परंतु उसके योगदानों को महत्व नहीं दिया जाता है । महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण का क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं वातावरण इत्यादि में निहित है । महिलाओं की सहायक सेवाएँ जैसे बच्चों की देखभाल, गृहकार्य इत्यादि में पुरुषों के योगदान की आवश्यकता है । हालांकि महिलाओं के लिए चलाए जा रहे विकास कार्यक्रम अच्छा परिणाम दे रहे है परंतु आज भी सशक्तिकरण जैसे मुद्दे को मीलो दूर जाना है ।

रश्मि शर्मा, डॉ. अशोक प्रधान, डॉ. टी. के. वैष्णव (2006) ने अपने अध्ययन गोंड़ जनजाति में स्त्रियों की स्थिति : सहभागिता एवं आर्थिक सशक्तिकरण में वन आश्रित अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को मुख्य रूप से दर्शाया है । इन्होंने अपना अध्ययन छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक में स्थित 6 गांवो में किया है । अध्ययन में पाया गया कि वनोपज संग्रहण में पुरुषों (41–56 प्रतिशत) की अपेक्षा स्त्रियों (58–44 प्रतिशत) की सहभागिता अधिक है । परन्तु संग्रहण के पश्चात् विक्रय में पुरुषों की सहभागिता दर (66.88 प्रतिशत) स्त्रियों की (33.12 प्रतिशत) सहभागिता दर से अधिक है । घरेलु कार्यो में कार्यशील एवं अकार्यशील आयुवर्ग की स्त्रियां संलग्न

पायी गयी है । यह निश्चित रूप से परिवार की आर्थिकी को सुदृढ़ता प्रदान करने का कारण है । अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अंतागढ़ विकास खण्ड के गोड़ जनजाति में स्त्रियों की स्थिति एवं आर्थिक क्रियाओं में सहभागिता आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ।

4. शोध प्रविधियाँ

प्रस्तुत अध्ययन अल्पसंख्यक भुंजिया जनजाति में किया जा रहा है । अध्ययन हेतु 300 घरों का चयन दैव निदर्शन प्रणाली से किया गया है । प्रत्येक ग्राम से अधिकतम 10 परिवारों का चयन किया जाएगा । प्रत्येक परिवार की महिलाओं से साक्षात्कार लिया जाएगा ।

आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक तथ्यों का संकलन असहभागी, तथा अर्द्धसहभागी अवलोकन, निरीक्षण पद्धति, साक्षात्कार, व्यक्तिक अध्ययन प्रविधियों से किया जाएगा । इस कार्य हेतु अनुसूची तथा मार्गदर्शिका, वस्तुस्थिति की वास्तविकता को शोधप्रदर्शन में पुस्तकों करने हेतु छायांकन, लोकगीतों तथा अन्य तथ्यों के संकलन हेतु टेप का प्रयोग किया जाएगा ।

द्वितीयक तथ्यों का संकलन प्रकाशित पुस्तकें, शासकीय प्रतिवेदन, पत्रिकायें आदि द्वारा किया जाएगा । तथ्यों के संकलन के पश्चात इनका विश्लेषण, वर्गीकरण कर सामान्य सांख्किीय विधियों का उपयोग करते हुए शोध प्रतिवेदन लेखन का कार्य किया जाएगा ।

4.1 अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन हेतु भुंजिया जनजाति का चयन किया गया है जो एक विकासशील जनजाति है ।

भुंजिया जनजाति मुख्यतः रायपुर जिले के दक्षिणपूर्वी भाग में वनाच्छादित क्षेत्र के बिन्द्रानवागढ़ तहसील के विकासखंड गरियाबंद, तहसील मैनपुर, छुरा, धमतरी जिला के नगरी एवं राजिम तहसील के विकासखण्ड फिंगेश्वर तथा महासमुन्द जिला के विकासखंड बागबाहरा, खल्लारी तथा महासमुन्द में पाए जाते है ।

प्रस्तुत अध्ययन हेतु रायपुर जिले का चयन किया गया है । रायपुर जिला छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण–पूर्व अंचल में स्थित है । यह प्रदेश का हृदय स्थल है । जो $19^0 47^0$ से $21^0 53^0$ उत्तरीय अक्षांशक तथा $81^0 25'$ से $83^0 17'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य में है । जिले का कुल क्षेत्रफल 15,190.62 वर्ग किलोमीटर है । प्रशासनिक दृष्टि से रायपुर जिले को 13 तहसीलों और 15 विकासखण्डों में बॉटा गया है । जिनमें से तीन आदिवासी विकासखण्ड (गरियाबंद, छुरा, मैनपुर) है । जिले में 9 नगर, 1 नगरनिगम, 3 नगरपालिका, 4 नगरपंचायत तथा 2014 ग्राम है । वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 30,09,042 है । जिले में साक्षरता का प्रतिशत 68.98 प्रतिशत है ।

4.2 उद्देश्य एवं महत्व

मेरे इस शोध प्रतिवेदन के उद्देश्य और महत्व निम्नानुसार है ।

उद्देश्य :–

1. छत्तीसगढ़ की भुंजिया जनजाति के सामाजिक–सांस्कृतिक जीवन में महिलाओं की स्थिति एवं भूमिका को ज्ञात करना ।
2. छत्तीसगढ़ की भुंजिया जनजाति की महिलाओं में आर्थिक स्वतंत्रता ज्ञात करना ।
3. छत्तीसगढ़ की भुंजिया जनजाति की महिलाओं में शिक्षा के स्तर का पता लगाना ।
4. छत्तीसगढ़ की भुंजिया जनजाति के राजनैतिक संगठन में महिलाओं की स्थिति एवं भूमिका को ज्ञात करना ।
5. छत्तीसगढ़ की भुंजिया जनजाति के महिलाओं में स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर को ज्ञात करना ।
6. छत्तीसगढ़ की भुंजिया जनजाति के महिलाओं का जनसांख्यिकी पहलुओं यथा जन्मदर, मृत्युदर, वैवाहिक स्थिति आदि पर अध्ययन करना ।
7. शासन द्वारा महिलाओं के विकास के लिए संचालित योजनाओं की स्थिति एवं इनका प्रभाव विषयांकित जनजाति पर ज्ञात करना ।
8. बच्चों के सामाजीकरण की प्रक्रिया में भुंजिया जनजाति के महिलाओं की भूमिका का अध्ययन करना ।
9. भुंजिया जनजाति की महिलाओं में अधिकरों के प्रति जागरूकता लाना तथा उनकी समस्या का समाधान करना ।
10. जनजातीय मान्यताओं के अनुरूप आदिवासी महिलाओं के समग्र विकास (सशक्तिकरण) के लिए उपायों को चिन्हित करना ।

महत्व :–

तुलनात्मक दृष्टि से वर्तमान औद्योगिकीकरण के युग में भी जनजातीय समाज अनेक दृष्टि से गैरजनजातीय समाज से पिछड़ी हुई है । प्रस्तुत अध्ययन छत्तीसगढ़ की भुंजिया जनजाति पर केन्द्रित है । जिसका महत्व निम्नानुसार है ।

1. इस समाज की महिलाओं का विभिन्न विषयों यथा स्वास्थ्य, शिक्षा, इत्यादि के प्रति विचार जानने का अवसर प्राप्त होगा ।
2. भुंजिया जनजाति की सामाजिक–सांस्कृतिक मान्यताएँ ज्ञात होंगी ।
3. हम यह ज्ञात कर सकते है कि किस पक्ष पर कितना ध्यान देना जरूरी है जिससे विकास की मुख्य धारा में सर्वांगीण रूप से हम इन्हें जोड़ सके ।
4. इस अध्ययन के माध्यम से भुंजिया जनजाति की महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विभिन्न जनजातीय योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा सकता है ।
5. इस शोध से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर शासन को महिलाओं के सशक्तिकरण एवं विकास संबंधी योजनाओं के निर्माण और उनके कियान्वयन के लिए सहायता मिलेगी ।

5. संभावित निष्कर्ष –:

प्रस्तुत अध्ययन छत्तीसगढ़ की अल्पसंख्यक भुंजिया जनजाति में किया जा रहा है । राष्ट्रीय स्तर पर इस जनजाति के बारे में बहुत कम लोगो को जानकारी है तथा इस जनजाति पर अध्ययन भी बहुत कम हुए है । इसका अध्ययन संभवतः इनके अस्तित्व पर प्रकाश डालने में सहायक सिद्ध होगा ।

यह अध्ययन मुख्यतः महिलाओं के सशक्तिकरण पर केन्द्रित है । इसके अंतर्गत इस समुदाय में महिलाओं के आर्थिक अधिकार, शैक्षणिक स्थिति, स्वास्थ्य एवं कुपोषण की स्थिति, जनांकिकीय अध्ययन, राजनैतिक सशक्तिकरण, सामाजिक–सांस्कृतिक सशक्तिकरण एवं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की अपनी समस्याएँ जैसे विषयों को रेखांकित किया जाएगा ।

किसी भी समाज को जानने के लिए इसके सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है । इस अध्ययन के निष्कर्ष स्वरूप हमें भुंजिया समाज में महिलाओं की विभिन्न क्षेत्रों में भागेदारी एवं महत्व का ज्ञान होगा । महिलाओं का शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य स्तर, राजनैतिक भागेदारी, आर्थिक भागेदारी एवं स्वतंत्रता तथा समाज में महिलाओं का महत्व ज्ञात होगा, जो इस जनजाति की महिलाओं के विकास हेतु आवश्यक है । यकीनन इस शोध से प्राप्त तथ्य शासन एवं विभिन्न गैरसरकारी संस्थाओं को इन महिलाओं के लिए विकास संबंधी योजनाएँ बनाने और उनके

क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगें । इस आधार पर बनायें गये विकासीय कार्यक्रमों की सहायता से इन्हें विकास की धारा मे सर्वांगीण रूप से जोड़ा जा सकेगा ।

5.1 समय सीमा

द्वितीयक तथ्यों का संकलन/अनुसूची निर्माण/संदर्भ ग्रंथों का अध्ययन	6 माह
तथ्यों का संकलन (क्षेत्रकार्य)	12 माह
तथ्यों का विश्लेषण/सारणीयन	6 माह
शोध प्रबंध लेखन/अंकन	60
माह	
	30 माह

5.2 संभावित अध्याय

1. परिचय :–
   - 1.1 विषय–परिचय
   - 1.2 क्षेत्र–परिचय
   - 1.3 जनजाति–परिचय
2. अध्ययन प्रविधियाँ एवं अध्ययन सामग्री
3. सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति एवं सशक्तिकरण
4. आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति एवं सशक्तिकरण
5. महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति एवं सशक्तिकरण
6. राजनीतिक स्थिति एवं सशक्तिकरण
7. स्वास्थ्य एवं पोषणात्मक स्थिति एवं सशक्तिकरण
8. जनांकिकीय स्थिति एवं महिलाओं की भूमिका
9. विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की भूमिका
10. सशक्तिकरण की बाधाएँ एवं समस्याएँ
11. सशक्तिकरण हेतु सुझाव
12. सारांश एवं निष्कर्ष

. संदर्भ ग्रंथ सूची

6. संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अग्रवाल, जी.के. (1985) "भारतीय समाज में स्त्रियों की प्रस्थिति" भारतीय सामाजिक संस्थायें 14 वां संस्करण, पृष्ठ 262, आगरा ।
2. बिष्ट, ए.एस. (1987), "उभरती स्त्री शक्ति और वन", हिमालय : निवासी और निसर्ग वर्ष –11, अंक – 5, पृष्ठ 23, नई दिल्ली ।
3. हंस, एस. (1988), "सवतंत्रता के 41 वर्ष : भारतीय नारी क्या खोया–क्या पाया", 'योजना', वर्ष–32, अंक–19, स पृ.–15 नई दिल्ली ।
4. जैन, वी.सी. एवं अग्रवाल, एन. (1990) "राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण में नारी की भूमिका" 'मानव' वर्ष –18, अंक 4, पृष्ठ–169
5. जोशी, पारूल, पातालकोट की भारिया जनजाति में स्त्रियों की स्थिति एवं भूमिका, बुलेटिन आफ द ट्राइबल रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट इन्सी, भोपाल, वा. 21, नं.1एवं 2, 1993, पृ. 31–31
6. मजुमदार, डी.एन. छोर का एक गाँव, एशिया पब्लिसिंग हाऊस, कलकत्ता, नई दिल्ली, (1960).
7. नायक टी.बी. – बाराभाई बिंझवार, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी–भोपाल, (1972).
8. पटेल, जी.पी. ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएँ एवं समाधान (म.प्र. के संदर्भ में) बुलेटिन आफ द ट्राइबल रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट ई., भोपाल वाल्यूम–19, नं. 1, 2, (1991), पृ. 20–27.
9. सिंह, एम. (1988) कामकाजी महिलाओं, एक सामाजिक वैज्ञानिक विश्लेषण योजना वर्ष–32, अंक–19, पृष्ठ–11, नई दिल्ली ।
10. सिन्हा, अनिक किशोर एवं दास बबीता, कोडकू–जनजाति में महिलाओं की स्थिति एवं परिवार नियोजन में उनका योगदान । बुलेटिन ऑफ द ट्राइबल रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट ई., भोपाल वाल्यूम–21, नं. 1, 2, (1993), पृ. 35–48.
11. तिवारी, शिवकुमार भारत की जनजातियॉ नाईर्न बुकसेन्टर नई दिल्ली, (1992).
12. तिवारी, एस.के., म.प्र. के आदिवासी, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, (1984).
13. वैष्णव, टी.के. – छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियॉ (2004).
14. गोयल, डॉ. मुकुल रंजन (2004) कंवर जनजाति संस्कृति एवं संगठन, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी ।
15. उपाध्याय, डॉ. विजय शंकर एवं डॉ. विजय प्रकाश शर्मा, (1989), भारत में जनजातीय संस्कृति, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल ।

16. दुबे, श्यामाचरण, (1960), "मानव और संस्कृति", राजकमल प्रकाश प्रा.लि. – दिल्ली ।
17. मुखर्जी, रविन्द्र नाथ, (1970), 'सामाजिक मानव शास्त्र की रूपरेखा' तृतीय संस्करण, सरस्वती सदन मसूरी ।
18. पाठक, इन्दु, शिक्षा तथ महिला सशक्तिकरण कुरुक्षेत्र, वर्ष 51, अंक : 11

19. Adhikari, A.K. 1984, Socoetu amd Wprld View of the Birhor, New Delhi Anthropological Survey of India, Govt. of India, p.28-29.
20. Agrawal – Murugkar D., Pal., Intake of Nutrients and food soruces of Nutrients among the Khasi Tribal Women of India, ICAR Research Complex for the New Region, Union, Meghalaya, India.
21. Agrawal, Sushila 1988. Status of Women Printwell Publish, Jaipur.
22. Basu, S.K. 1993. Health Status of tribal women in India.
23. Bera, Gautam Kumar, An Ethenographic Note on the Cherwa of Surguja, A report (Culcutta : Anthropological Survey of India, 1965) (Unpublished).
24. Bhaduri, M.B., The Aboriginal Tribes of the Udaipur State (C.P.), Man in India, 21 (2&3), 1941, pp. 94-126.
25. Bhai, Thara L., Womens Studies in India, APH Publishing corporation New Delhi.
26. Devi Laxmi, Women Empowerment and Social Improvement, Institute for Sustainable Development, Luckhnow & Anmol Publications Pvt. Ltd. New Delhi.
27. Danda, A.K., Gahira Guru and His Sant Samai Movement, in K.S. Singh (ed), Tribal Movements in India (Delhi), Manohar Publications, 1983, Vol.11.
28. Dutta, P. 1976. Women in Arunachal and their Status in the Socio-Cultural life, Re Sarun, Shilong : Govt. of Arunachal Pradesh.
29. Elwin Verrier : The tribal workd of veried Elwin an autobiography oxford University, Press, 1964.
30. Elwin, Verrier : Leaves form the jungle : Life in a gond village, oxford University press, 1936
31. Fernondes, Walter and menon, Geeta, 1987, Tribal Women and Forest Economy, Deforestation, Exploitation and Status change New Delhi, Indian Social Institue.
32. Indira, 1955, The Status of Women in Ancient India, Motilal Banarsidas, Banaras.

33. Kamat Jyotsana & Kamat K.L., 1980, Women Tribal Societies of India (1980).
34. Kishwar, M. 1985. Gandhi and Women, Economic and Political Weekly, Vol.20, No.40. Oct. 5, p.12.
35. Kakkoth, Seetha (1995) Health Status of Women In a Maginalised Tribal Community ; A study of Arandan of Kerala, Man and life Vol. 29 Nos 1&2.
36. Lodha, Neeta 2003. Status of Tribal Women Special reference to work participation and decision making role in tribal society.
37. Lowie, R.H. 1953. Primitive Society. New Yark : Bani and live light.
38. Majumdar, D.N. & T.N. Madan, 1957 : An Introduction to Social Anthropology ; Ashia Publishing House. Bombay.
39. Malinowaski, B. 1920, A. Scientific Theory of Culture, University of North Cagolina Press.
40. Panda, Bharti and Mohanty Sagarika (2003) Status and Empowerment of Women in India ; A Rural Scenario, Man and life vol. 29 Nos 3&4.
41. Raj Miathergi, K. (1986), Womens study in India, Some Perspectives, popular Prakashan ; Bombay, 1986.
42. Roy, Burman, B.K.(1988), Challenges of development and tribal women of India, in Singh, J.P. Vays, N.N. and Mann, R.S.(Eds.) Tribal Women and Development, Udaipur ; MLV Tribal Resarch and Training Institute tribal area development Department, Rajasthan.
43. Russes, R.V. & Hiralal, Tribes and casts of the central Provinces of India (1916) Vol. 1to 4 Macmillan and Coilimited London. Reprint Cosmo. Publi. Delhi.
44. Shashi, S.S. (1978) : The Tribal Women of India ; Delhi (Sandeep Prakashan).
45. Shastri S.Rao, 1954. Women in the Vedic Age Bombay.
46. Singh, J.P. Vyas, N.M. and Mann, R.S. 1988, Tribal Women and Development, Jaipur; Rawat Publications.
47. Singh, K.S. Peoples of India, Scheduled Tribe (1994). Delhi.

48. Saini, Dr. Manorama, Saini Dr. Alpana, Women Empowerment ; Miles to Go, Chhattisgarh Ecomonic Associtaion, 2nd Annual confrence November 18-20, 2006 Raipur.

49. Shrivastava, Dr. Smt. Narayani, Women labour in Chhatisgarh, Economic Association, 2nd annual Conference November 18-20, 2006 Raipur.

50. Tripathy. S.N. (2004) Tribal Women in India, First Edition Dominant Publishers and Distibutors New Delhi - 110002

51. Tapan, Neeta, Nead for Women Empowerment, Rawat Publications Jaipur and New Delhi.

52. Waghmare, S.K. and Chaudhari, N.V., 1989. Tribal women in Agriculture, New Delhi : Metropolitan Book Company, Pvt. Ltd.